

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

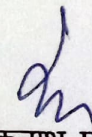
पंजीयन क्रमांक—FP/CG/OFC/43521/2019

1.	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जियो डिजिटल फाईबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल के लगभग 100 ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था किया जाना।
(ii)	जिला	छत्तीसगढ़
(iii)	वन प्रभाग	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-मरतपुर
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	मनेन्द्रगढ़
(v)	वन वैधानिक स्थिति	9.406 हेक्टेयर
(vi)	हरियाली का घनत्व	आरक्षित वन, संरक्षित वन, राजस्व वन
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर. एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	0.1 - 0.4 आवश्यकता नहीं है।
(viii)	भू-क्षरण के लिए वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	मृदाक्षरण की समावना नहीं है, अतः उक्त भूमि परियोजना हेतु दिया जा सकता है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित योजना में 4जी ऑप्टिकल फॉयबर केबल बिछाने हेतु वनक्षेत्र में रोड से 10 मीटर के अन्दर आर.ओ.डब्ल्यू. से होकर गुजरती है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कॉरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाये)	नहीं है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटान्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं है।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं है।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की मांग न्यूनतम एवं आवश्यक है।
3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं है।
4	प्रति पूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इस की दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यकता नहीं है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वनसीमाओं को दर्शाता मानचित्र।	लागू नहीं होता है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियां सहित प्रति	लागू नहीं होता है।

	पूरकवनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	लागू नहीं होता है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	लागू नहीं होता है।
5	जिला वनसंरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)	आवश्यक नहीं है।
6	विभाग/जिला प्रोफाइल	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4226 वर्ग कि.मी.
	(ii) जिले का वनक्षेत्र	1807.564 वर्ग कि.मी.
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	7 प्रकरण 292.744 हेक्टेयर
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	-
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	वन भूमि 72.00 हेक्टेयर वनेत्तर भूमि 0.00 हेक्टेयर
7	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप-वनसंरक्षक की विशेष सिफारिश।	जियो डिजिटल फाईबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क आधारित संचार सुविधायें स्थापित होगी। अतः मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत 9.406 हेक्टेयर के व्यववर्तन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुंशसा की जाती है।

दिनांक : 31.03.2023

स्थान : मनेन्द्रगढ़, केल्हारी एवं जनकपुर ।


 (लोकनाथ पटेल "भा.व.से")
 वनमंडलाधिकारी
 मनेन्द्रगढ़ वनमंडल, मनेन्द्रगढ़

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ (छत्तीसगढ़)

E-mail :- divisionmanendragarh@rediffmail.com, Ph. 07771-241349, Fax 243731

क्रमांक/त.अ./2023/1460
प्रति,

मनेन्द्रगढ़, दिनांक 5/6/2023

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वन वृत्त 0
अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for jio Digital Fiber Private Ld, Raipur Laying of Optical Cable Line (OFC) in Manendragarh Forest Division Under Korea District of Chhattisgarh State area 9.406 ha.

पंजीयन क्रमांक :- FP/CG/OFC/4352/2019

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/मा.ची./3238/अ.पुर दिनांक 26.05.2023

--00--

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. रायपुर के द्वारा वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित आरक्षित वन 4.591 हे. संरक्षित वन 4.158 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.567 हे. कुल आवेदित भूमि रकबा 9.406 हे. सड़क के किनारे राईट आफ वे मे वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यवर्तन प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया है।

संदर्भित पत्र के द्वारा पाई गई कमियों मे Online Form के बिन्दु क्रमांक - 16 में स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन भाग - II नहीं खुलने के कारण स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन को अतिरिक्त जानकारी में upload एवं प्रस्ताव को अनुशंसा सहित प्रेषित किया जा कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

वनमण्डलाधिकारी

मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़
मनेन्द्रगढ़, दिनांक 5/6/2023

पृष्ठा.क्रमांक/त.अ./2023/1461
प्रतिलिपि :-.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ) रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़